

फर्द अहकाम

अज अदालत न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट लवाण मुकाम लवाण  
 उनवान विनोद बनाम जगदीश व अन्य  
 किस्म मुकदमा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 12/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.07.2023	वादी के अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा द्वारा वाद पत्र तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उपस्थित होकर, पेश किया गया। जिसे सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगणों को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी किये जावे। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 25.08.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लवाण	
25 <sup>08</sup> / <sub>23</sub>	अज माहब अन्व इम में, मीटिंग/दोरे में होने से ता. पेशी दी गई। गत अदेशों की पत्रावली में दिनांक 02/11/23 को पेश हो।	प.0. न्या. का स्था. दी जाने के ठरवा।
03 <sup>11</sup> / <sub>23</sub>	अज माहब अन्व इम में, मीटिंग/दोरे में होने से ता. पेशी दी गई। गत अदेशों की पत्रावली में दिनांक 05/10/23 को पेश हो।	फर्द कर में।
5 <sup>01</sup> / <sub>24</sub>	अज माहब अन्व इम में, मीटिंग/दोरे में होने से ता. पेशी दी गई। गत अदेशों की पत्रावली में दिनांक 10/11/24 को पेश हो।	क-डोलेस्य करवे पय
10 <sup>01</sup> / <sub>23</sub>	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधीन अनुवादी वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 25/07/23 की पावना आज दिनांक तक नहीं की गई है। अतः पत्रा. दिनांक 11/01/24 को पेश हो।	
11 <sup>01</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली फरीकेन उप. नहीं। वादी और प्रतिवादी की ओर कोई असाक्षन। पत्रावली उप. नहीं। कई आपाज कगवाई गई। अतः दसा वादीगण अदर जारी - अदर पेशी में धाजि मिला जाता है। पत्रावली फेरव सुमार हेमर बाद तबरीन दाखिल हुकम दी।	

उप जिला कलक्टर  
 लवाण